आदेश पत्रक

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपज़िलाधिकारी
मण्डल :गोरखपुर,ज़नपद :गोरखपुर,तहसील :गोला
वाद संख्या :-4898/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202205310704898
लोकेश आदि बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

विवेचना

प्रस्तुत वाद वादीगण लोकेश व नितेश व अभिनन्दन व विशाल पुत्रगण जयप्रकाश चन्द साकिन चिकनिया तप्पा बरहज परगना धुरियापार तहसील गोला जिला गोरखपुर द्वारा अन्तर्गत धारा 80 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 के तहत दाखिल करते हुंए यह अनुरोध किया गया है कि ग्राम बनकटा तप्पा बरहज परगना धुरियापार मे स्थित आराजी नं0 218 रकबा 0.4780हे0 मे से रकबा 0–60डि0 भूमि पर चाहरदिवारी बनाकर काविज है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य नही होता है। इस प्रकार अकृषिक घोषित किया जाए।

वाद दर्ज कर तहसीलदार गोला से जॉच आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार गोला की जॉच आख्या दिनांक 16.08.2022 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि आ0नं0 218 रकबा 0.4780हे0 मे से रकबा 0.2420हे0 भूमि पर आवेदकगण द्वारा बाउण्ड्रीवाल व पक्का निर्माण कर स्कूल संचालन कराकर काविज है। अब कृषि कार्य नहीं होता है। अकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु संस्तुति की गयी है।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध जॉच आख्या एंव खसरा खतौनी व संलग्न फोटो का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि वादीगण के नाम से खतौनी मे अंकित है। बाउण्ड्रीवाल व पक्का निर्माण कर स्कूल संचालन कराकर काविज है। संलग्न फोटो से स्पष्ट है कि उक्त भूमि अकृषिक भूमि है, जिसपर कृषि कार्य नही होता है। इस संबंध में उ0प्र0रा0संहिता(संशोधन) अध्यादेश 2019 मे धारा 80(2) मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार सहन वाली भूमि पर घोषणा के दिनांक से पॅाच वर्ष के अवधि के भीतर प्रस्तावित गैर कृषि संबंधी गतिविधि प्रारम्भ करे। यदि भूमिधर इस उपधारा के अधीन घोषणा के दिनांक से पॉच वर्ष की अवधि के भीतर गैरकृषिक संबंधी गतिविधि प्रारम्भ करने मे विफल रहता है तो उपधारा(2) के अधीन जोत या उसके आंशिक भाग की घोषणा वयपगत हो जायेगी। उक्त भूमि पर आवासीय उद्धेश्य से किये जा रहे प्रकरणों मे अकृषिक भूमि जिसे घोषित किया जाना है। सरकारी सर्किल रेट के अनुसार कुल मालियत की दो प्रतिशत सरकार के पक्ष मे लाभार्थी द्वारा जमा कराये जाने का प्रावधान है। उदघोषणा शुल्क रू0 19000=00 ट्रेजरी चालान द्वारा जमा कोष किया गया है तथा न्यायालय शुल्क जरिये स्टाम्प मु0 19000रू0 जमा किया गया है। इस प्रकार तहसीलदार गोला की आख्या दिनांक 16.08.2022 के आधार पर उक्त भूमि अकृषिक किये जाने योग्य है। ऐसी दशा में सम्बन्धित भूमि को आवेदक के पक्ष में गैर कृषिक भूमि इस शर्त के साथ घोषित किया जाता है कि उ0प्र0रा0सं0(संशोधन) अध्यादेश 2019 दिनांकित 10.03.2019 के विन्दु सं0 8 की धारा(7) के अनुसार भूमि या उसके आंशिक भाग का उपयोग ऐसे प्रयोजन के लिए नहीं किया जा रहा है। या किया जाना प्रस्तावित है जिसके कारण लोक उपताप होना या लोक व्यवस्था सुरक्षा या सुविधा पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ना

मॉं सरयू एजुकेशनल सोसाइटी
गोला गोरखपुर उत्तर प्रदेश

Scanned by CamScanner

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपज़िलाधिकारी
मण्डल :गोरखपुर,ज़नपद :गोरखपुर,तहसील :गोला
वाद संख्या :-4898/2022
कंप्यूटरीकृत वाद सख्या :-T202205310704898
लोकेश आदि बनाम सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

सम्भावित हो या जो महायोजना से प्रस्तावित हो। यदि भविष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखो में कोई भी तथ्य मिथ्या या भ्रामक पाया जाता है तो यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

आदेश

अतः ग्राम बनकटा तप्पा बरहज परगना धुरियापार तहसील गोला जिला गोरखपुर के फसली 1429–1434फ0 के खाता सं0–00113 आराजी नं0 218 रकवा 0.4780हे0 में से रकबा 0.2420हे0 भूमि जो लोकेश व नितेश व अभिनन्दन व विशाल पुत्रगण जयप्रकाश चन्द नि0ग्राम चिकनियां पर कृषि कार्य न होने के कारण अकृषिक घोषित करते हुए लगान मुक्त किया जाता है। विवरण कालम मे यह प्रविष्टि निरन्तर बनी रहेगी। तदनुसार परवाना जारी हो। आदेश की प्रमाणित प्रति उपनिबंधक गोला को भेजा जाए। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखित दफ्तर हो।

दिनांक–

22/9/2022

(रोहित कुमार मौर्य),
उप जिलाधिकारी,
गोला–गोरखपुर।

सायल का नाम....नितेश चन्द....
सवाल नम्बर....156....
सवाल तारिख....24-9-22....
तादात फीस....10-00....
तादात शब्द....590....
नकल नोटिस....26-9-22....
नकल हवालगी....26-9-22....
प्रतिलिपि कर्ता के हस्ताक्षर....

प्रतिलिपि कर्ता
मुकाबलाकर्ता

सत्य–प्रतिलिपि
26-9-22
उप जिलाधिकारी गोला
गोरखपुर

मां सरयू एजुकेशनल सोसाइटी
गोला गोरखपुर उत्तर प्रदेश

Scanned by CamScanner